झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–639 वर्ष 2017

पारस नाथ .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय।

2. महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।

3. निदेशक, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम।

4. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

माननीय न्यायमूर्ति श्री कैलाश प्रसाद देव

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री समीर कु0 लाल, अधिवक्ता

भारत संघ के लिए :– श्री भारत भूषण प्रसाद, सी0जी0सी0

उत्तरदाता–सी0एस0आई0आर0 के लिएः–श्री अजय कु0 साह, अधिवक्ता

08 / 07.11.2019 रिट याचिकाकर्ता और प्रतिवादी–सी0एस0आई0आर0 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

आवेदक, जो रिट याचिकाकर्ता है, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य राशियां जैसे कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं दंडात्मक गृह किराया पर ब्याज लेने के लिए, प्रतिवादी

संख्या–3 द्वारा गठित एक समिति की 3 सितंबर 2004 की एक रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना बेंच, रांची के समक्ष आया था। यह समिति यह पता लगाने के लिए गठित की गई थी कि क्या आवेदक के नियंत्रण में कुछ वस्तुओं का प्रभार सौंपने में जानबूझकर देरी हुई थी। यह रिपोर्ट अनुलग्नक–III में है जिस पर याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए निर्भर करता है कि समिति ने उसे देरी के लिए जिम्मेदार नहीं पाया। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पांच साल बाद यानी 31 जनवरी, 2003 को उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान किया गया था।

विद्वान ट्रिब्यूनल ने पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी तर्क पर अपने विवेक का प्रयोग किया है और आवेदक के खिलाफ फैसला किया है। इसने आवेदक के दिनांक 7 नवंबर 2008 के अभ्यावेदन पर पारित आदेश को ध्यान में रखा है। आक्षेपित आदेश में लिए गए पत्र से यह इंगित होता है कि आवेदक द्वारा प्रभार सौंपने में कुछ देरी के कारण कोई मांग प्रमाण पत्र, पोस्ट–रिटायरल बकाया जारी करने के लिए एक पूर्व–आवश्यकता को प्रस्तुत नहीं की गई थी और आवेदक 2 मई 2005 तक आधिकारिक क्वार्टर को कब्जा में रखा जिसके लिए उनसे दंडात्मक किराया भी वसूला गया था। विद्वान ट्रिब्यूनल की राय थी कि सेवानिवृत्त बकाया के भुगतान में देरी पर ब्याज तब दिया जाता है जब कर्मचारी की कोई गलती नहीं होती है और कर्मचारी विभाग से अपनी सेवानिवृत्ति से पहले नो डिमाण्ड सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाध्य होता है। वास्तव में नो डिमाण्ड सर्टिफिकेट प्रात करने में देरी हुई क्योंकि उनके प्रभार के तहत कुछ आइटम नहीं सौंपे गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा गठित समिति ने इस मुद्दे पर विचार–विमर्श किया, लेकिन आवेदक पर काई लापरवाही

या दोष नहीं लगाया गया। हालांकि, तथ्य यह है कि आवेदक द्वारा समय के भीतर कुछ वस्तुओं का प्रभार नहीं सौंपा गया था। आवेदक ने लगभग दो साल और 4 महीने की अवधि के लिए अपनी आधिकारिक क्वार्टर खाली करने में भी देरी की थी। ऐसे मामले में, नियोक्ता को सेवानिवृत्ति के बाद कुछ बकाया राशि जारी करने में जानबूझकर देरी करने का भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और आक्षेपित आदेश सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन करने के बाद, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(श्री अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)

(श्री कैलाश प्रसाद देव, न्याया0)